NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 24-09-2026

विषय सूची

भारत में उभरता सूखा संकट: मानसून की परिवर्तनशीलता और कृषि संबंधी जोखिम

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता

नशीले पदार्थों के विरुद्ध कार्यबल (ANTF) का तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन

संक्षिप्त समाचार

भारत का जैव-सतर्कता कार्यक्रम

PBSHABD

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0

गाजा शांति बोर्ड

ब्रिक्स और परिवर्तित वैश्विक कर व्यवस्था

भारत द्वारा ओआईसी समूह की कश्मीर संबंधी टिप्पणियों का खंडन

सियांग ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना

उपग्रह-आधारित स्मार्ट वायुक्षेत्र-रोधी हथियार (SAT-SAAW)

नाओएरो

भारत में उभरता सूखा संकट: मानसून की परिवर्तनशीलता और कृषि संबंधी जोखिम

संदर्भ

- दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने के साथ ही भारत के आधे से अधिक भू-भाग में सूखे जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं। मृदा में आर्द्रता की निरंतर कमी ने खरीफ फसलों की उपज, रबी फसलों की बुवाई तथा जल सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

भारत में सूखा

- सूखा असामान्य रूप से कम वर्षा की दीर्घ अवधि को कहा जाता है, जिसके कारण जल की कमी उत्पन्न होती है। इसका प्रभाव मौसम विज्ञान, कृषि तथा जल विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रणालियों पर अलग-अलग रूपों में पड़ता है।
- भारत में सूखे का आकलन अब केवल वर्षा के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि मृदा की आर्द्रता, वनस्पति की स्थिति, जलाशयों में जल भंडारण तथा भूजल की स्थिति को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है।
- भारत सूखे के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि देश के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 55–60 प्रतिशत भाग वर्षा पर निर्भर कृषि के अंतर्गत आता है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा कृषि मंत्रालय सूखे की निगरानी, पूर्व चेतावनी, आकस्मिक फसल योजना तथा जल के कुशल प्रबंधन पर विशेष बल देते हैं।

भारत में बढ़ता सूखा संकट

- **मानसून की परिवर्तनशीलता:** मुख्य चिंता केवल मौसमी वर्षा की कमी नहीं है, बल्कि वर्षा का समय और स्थान के अनुसार असमान वितरण भी है।
  - वर्षा और शुष्क अवधियों के बीच बार-बार होने वाले परिवर्तन के कारण मृदा में लंबे समय तक आर्द्रता की कमी बनी रही है।
  - इसलिए कम अवधि में हुई वर्षा से उन क्षेत्रों में सूखे की स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं हो पाया, जहाँ पहले से ही मृदा में आर्द्रता की कमी बनी हुई थी।
- **सूखे का विस्तार और प्रसार:** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर के भारत सूखा निगरानी केंद्र के अनुसार, 16 सितंबर तक भारत के लगभग 52.5 प्रतिशत भू-भाग में शुष्क या सूखे की स्थिति थी, जबकि लगभग एक माह पहले यह आंकड़ा 38.9 प्रतिशत था। क्षेत्रीय स्तर पर सूखे का दबाव विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में अधिक रहा:
  - पश्चिमी भारत: 79 प्रतिशत क्षेत्र शुष्क या सूखे की स्थिति में;
  - दक्षिणी भारत: 67 प्रतिशत;
  - पूर्वोत्तर भारत: 62 प्रतिशत;
  - उत्तर-पश्चिम भारत: 47 प्रतिशत;
  - पूर्वी भारत: 42 प्रतिशत;
  - उत्तरी भारत: 41 प्रतिशत;
  - मध्य भारत: 40 प्रतिशत।
- **वर्षा की कमी और स्थानिक परिवर्तनशीलता:** 1 जून से 22 सितंबर, 2026 के बीच भारत में 706.9 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि सामान्य वर्षा 832.4 मिलीमीटर होती है। इस प्रकार वर्षा में 15 प्रतिशत की कमी रही।
  - देश के लगभग 41 प्रतिशत क्षेत्र में मौसमी वर्षा सामान्य से कम रही।
  - क्षेत्रीय स्तर पर वर्षा की कमी रायलसीमा में 43 प्रतिशत, तटीय आंध्र प्रदेश में 37 प्रतिशत, मराठवाड़ा में 36 प्रतिशत, आंतरिक कर्नाटक के विभिन्न क्षेत्रों में 32 प्रतिशत तथा केरल में 28 प्रतिशत रही।

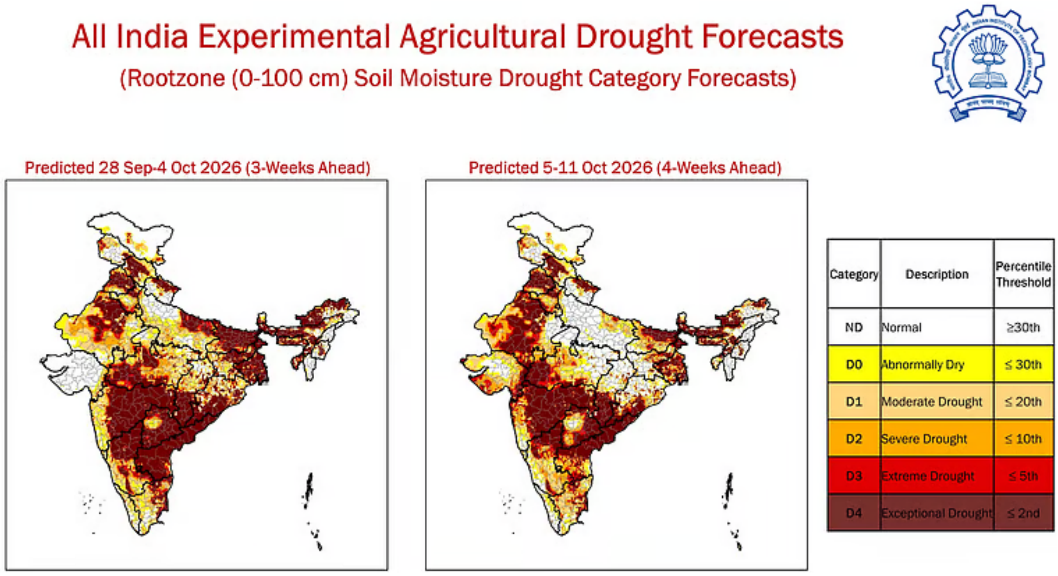

- **एल नीनो और मानसून की अनिश्चितता:** सुदृढ़ हो रहा एल नीनो वर्षा और तापमान के स्वरूप में अनिश्चितता को बढ़ा रहा है।
    - अन्य समुद्री और वायुमंडलीय घटनाओं के साथ इसकी अंतःक्रिया मानसून की परिवर्तनशीलता को प्रभावित कर सकती है।
    - हालिया शोध से पता चलता है कि समुद्र-वायुमंडल की परस्पर क्रिया से संबंधित यह घटना सूखे की प्रकृति तथा कृषि उत्पादकता को प्रभावित कर सकती है।

कृषि एवं समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- सूखे का दबाव खरीफ फसलों की बुवाई में पहले से दिखाई दे रहा है।
    - 11 सितंबर तक खरीफ फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 1,096.49 लाख हेक्टेयर था, जबकि एक वर्ष पहले यह 1,112.54 लाख हेक्टेयर था।
    - धान के बुवाई क्षेत्र में लगभग 17 लाख हेक्टेयर की कमी आई।
- मृदा में आर्द्रता की निरंतर कमी से फसल की उपज, पशुधन उत्पादकता और किसानों की आय प्रभावित हो सकती है। साथ ही, सिंचाई तथा सरकारी सहायता की मांग बढ़ सकती है।
    - जलाशयों में कम जल भंडारण और भूजल के अपर्याप्त पुनर्भरण से रबी फसलों की बुवाई प्रभावित हो सकती है। इसका प्रभाव खाद्य कीमतों, ग्रामीण रोजगार तथा कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद पर भी पड़ सकता है।
- यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एल नीनो से संबंधित कृषि संकट के प्रति संभावित रूप से संवेदनशील 315 जिलों की पहचान की थी। इनमें 111 उच्च प्राथमिकता वाले जिले ऐसे थे, जहाँ सिंचाई का विस्तार 25 प्रतिशत से कम था।

आगे की राह

- वर्षा, मृदा की आर्द्रता, भूजल तथा उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों को एकीकृत करते हुए जिला स्तर पर सूखे की पूर्व चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोटे अनाज, दलहन तथा सूखा-सहिष्णु फसल किस्मों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- सूक्ष्म सिंचाई, जलग्रहण क्षेत्र विकास तथा वर्षा जल संचयन का विस्तार किया जाना चाहिए।
- वास्तविक समय में उपलब्ध मानसूनी परिस्थितियों के आधार पर आकस्मिक फसल योजनाएँ तैयार और लागू की जानी चाहिए।
- रबी फसलों की स्थिरता के लिए जलाशयों के संचालन तथा भूजल पुनर्भरण में सुधार किया जाना चाहिए।
- संवेदनशील जिलों में फसल बीमा, मौसम संबंधी परामर्श तथा लक्षित आजीविका सहायता को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- केवल वर्षा की कमी के आधार पर सूखे का आकलन करने के बजाय उसके वास्तविक प्रभावों पर आधारित सूखा निगरानी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।

भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून

- यह वायु के मौसमी प्रत्यावर्तन की एक प्राकृतिक प्रणाली है, जो भारत में होने वाली वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग लेकर आती है। यह कृषि, जल संसाधनों और अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **दक्षिण-पश्चिम मानसून:** यह सामान्यतः 1 जून के आसपास केरल में प्रवेश करता है और उत्तर की ओर बढ़ते हुए जुलाई तक भारत के अधिकांश हिस्सों को अपने प्रभाव में ले आता है। सामान्यतः यह भारत की वार्षिक वर्षा का लगभग 75 प्रतिशत भाग प्रदान करता है।
- **दो प्रमुख शाखाएँ:**
    - **अरब सागर शाखा:** यह पश्चिमी तट तथा उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के क्षेत्रों में वर्षा लाती है।
    - **बंगाल की खाड़ी शाखा:** यह पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ती है और इसके बाद हिमालय की तलहटी तथा गंगा के मैदानी क्षेत्रों के साथ पश्चिम की ओर आगे बढ़ती है।
- **मानसून की परिवर्तनशीलता:** वर्षा का स्थानिक और कालिक वितरण अत्यधिक असमान होता है तथा मानसून के दौरान सक्रिय और विराम की अवस्थाएँ आती रहती हैं। एल नीनो–दक्षिणी दोलन (ENSO), हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD), हिमालय–तिब्बत क्षेत्र की परिस्थितियाँ तथा अंतःमौसमी वायुमंडलीय परिसंचरण जैसे कारक मानसून के स्वरूप को प्रभावित करते हैं।
- **मानसून की वापसी:** दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्यतः सितंबर में उत्तर-पश्चिम भारत से वापस लौटना शुरू करता है। इसके बाद यह दक्षिण की ओर बढ़ता है और सामान्यतः अक्टूबर तक देश के अधिकांश हिस्सों से वापस लौट जाता है।
    - इसके बाद उत्तर-पूर्वी मानसून महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेष रूप से तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश तथा इससे लगे दक्षिण-पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में। इसका प्रभाव मुख्यतः अक्टूबर से दिसंबर के दौरान देखा जाता है।

स्रोत: DTE

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता

संदर्भ

- भारतीय कंपनियों को विस्तार करने, वैश्विक मूल्य शृंखलाओं से जुड़ने तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) क्या हैं?

- गुणवत्ता नियंत्रण आदेश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कानूनी प्रावधान हैं।
- इनके माध्यम से घरेलू तथा आयातित दोनों प्रकार के उत्पादों के लिए निर्धारित भारतीय मानकों का अनुपालन अनिवार्य किया जाता है।
- गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अंतर्गत आने वाले उत्पादों को भारतीय बाजार में भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन के बिना विक्रय नहीं किया जा सकता। इससे उपभोक्ता सुरक्षा, निष्पक्ष व्यापार व्यवहार तथा निम्न-स्तरीय आयातित उत्पादों से सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)

- भारतीय मानक ब्यूरो, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है।
- इसकी स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अंतर्गत की गई थी, जो वर्ष 2017 में प्रभावी हुआ।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली।
- **कार्य:**
  - विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय मानकों का निर्माण।
  - स्वैच्छिक और अनिवार्य, दोनों प्रकार की उत्पाद प्रमाणन योजनाओं का संचालन।
  - गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करना, जिसके माध्यम से कुछ उत्पादों के लिए निर्धारित भारतीय मानकों का अनुपालन अनिवार्य किया जाता है।
- भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं में उत्पाद प्रमाणन (आईएसआई चिह्न), प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन, सोने और चांदी के आभूषणों तथा कलाकृतियों की हॉलमार्किंग और प्रयोगशाला सेवाएँ शामिल हैं। इनका उद्देश्य उद्योग को सहायता प्रदान करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।

भारत की गुणवत्ता व्यवस्था

- भारत में 22,300 से अधिक मानक हैं, जिनमें लगभग 94 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) और अंतरराष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (IEC) के मानकों के अनुरूप हैं।
- भारत वर्ष 2026 के वैश्विक गुणवत्ता अवसंरचना सूचकांक में 10वें स्थान पर रहा।
- 700 से अधिक उत्पाद अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणन के अंतर्गत आते हैं, जबकि सैकड़ों अन्य उत्पाद स्वैच्छिक प्रमाणन के अंतर्गत आते हैं।
- भारत की गुणवत्ता व्यवस्था में निम्नलिखित संस्थाएँ एवं तंत्र शामिल हैं:
  - मानक निर्धारण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS);
  - भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI);
  - परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABL);
  - प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABCB);
  - निर्यात निरीक्षण परिषद (EIC);
  - भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) तथा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) जैसे क्षेत्रीय नियामक;
  - अनुरूपता मूल्यांकन एवं प्रमाणन निकाय;
  - परीक्षण प्रयोगशालाएँ;
  - बाजार निगरानी तंत्र आदि।

वर्तमान व्यवस्थाएँ अपर्याप्त क्यों हैं?

- **विखंडित संस्थागत ढाँचा:** मानक निर्धारण, प्रमाणन, विनियमन, प्रत्यायन और प्रवर्तन से संबंधित जिम्मेदारियाँ विभिन्न मंत्रालयों एवं संस्थाओं के बीच विभाजित हैं।
  - समन्वय के अभाव से नियामकीय कार्यों में दोहराव तथा जवाबदेही से संबंधित कमियाँ उत्पन्न होती हैं।
- **भारतीय मानक ब्यूरो की ओवरलैपिंग भूमिकाएँ:** भारतीय मानक ब्यूरो मानक निर्धारण, प्रमाणन तथा कुछ नियामकीय कार्य भी करता है।
  - इन कार्यों का एक ही संस्था में केंद्रीकरण प्रोत्साहन, प्रमाणन और प्रवर्तन से संबंधित भूमिकाओं के बीच संभावित हित-संघर्ष उत्पन्न कर सकता है।
- **कमजोर बाजार निगरानी:** यदि नियमों का अनुपालन न करने वाले उत्पाद बाजार में निरंतर उपलब्ध रहते हैं, तो नियमन की प्रभावशीलता कम हो जाती है।
  - राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों में बाजार निगरानी की क्षमता अभी भी असमान है।

NEXT IAS हिन्दी

- **निर्यात गुणवत्ता से जुड़ी चुनौतियाँ:** निर्यात की गुणवत्ता से संबंधित नियमन निर्यात निरीक्षण परिषद, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, विभिन्न वस्तु बोर्डों तथा अन्य नियामक संस्थाओं के बीच विभाजित है।
    - कई संस्थानों में प्रोत्साहन और नियमन की भूमिकाएँ एक साथ होने के कारण संभावित हित-संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **सीमित अंतरराष्ट्रीय मान्यता:** भारतीय मानकों का अनुपालन अपने आप विदेशी बाजारों में उत्पाद की स्वीकृति सुनिश्चित नहीं करता।
    - भारतीय प्रमाणनों के लिए विदेशों में प्रायः अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता पड़ती है, जिससे निर्यात लागत बढ़ जाती है।

गुणवत्ता को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहल

- **गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO):** उत्पादों को निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए हैं। इनके अंतर्गत इस्पात, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, जूते तथा खिलौने जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- **शून्य दोष, शून्य प्रभाव (ZED) योजना:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम रखते हुए गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण पद्धतियाँ अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना:** घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के साथ-साथ कंपनियों को वैश्विक गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- **राष्ट्रीय गुणवत्ता मिशन:** उद्योगों और सार्वजनिक संस्थानों में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है।
- **एक जिला, एक उत्पाद (ODOP):** स्थानीय उत्पादों के मानकीकरण, ब्रांड निर्माण और गुणवत्ता में सुधार को प्रोत्साहित करता है।

आगे की राह

- **परीक्षण अवसंरचना में सुधार:** गुणवत्ता के आकलन और मानकों के अनुपालन को सुदृढ़ करने के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं और प्रमाणन सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।
- **राष्ट्रीय गुणवत्ता प्राधिकरण की स्थापना:** गुणवत्ता संबंधी शासन के लिए एक समर्पित सर्वोच्च संस्था का गठन किया जाना चाहिए, जो विभिन्न क्षेत्रों में मानक निर्धारण, प्रमाणन, प्रत्यायन, विनियमन और प्रवर्तन के बीच समन्वय स्थापित करते हुए संपूर्ण सरकार के स्तर पर एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करे।
- **निर्यात प्रमाणन को सुव्यवस्थित करना:** विभिन्न निर्यात प्रमाणन संस्थाओं के कार्यों का युक्तिकरण किया जाना चाहिए, ताकि दोहराव कम हो और निर्यातकों के लिए अनुपालन प्रक्रिया सरल हो।
- **प्रमुख कार्यों का पृथक्करण:** पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए मानक निर्धारण, प्रमाणन, विनियमन और प्रवर्तन के कार्य स्वतंत्र रूप से किए जाने चाहिए।
- **वैश्विक एकीकरण को बढ़ावा देना:** अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण संस्थाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए तथा भारतीय प्रमाणनों की पारस्परिक मान्यता के लिए समझौतों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- भारत में गुणवत्ता सुधारों के आगामी चरण का उद्देश्य केवल मानकों और प्रमाणनों की संख्या बढ़ाना नहीं होना चाहिए।
- इसके बजाय, ध्यान ऐसी विश्वसनीय, भरोसेमंद और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गुणवत्ता शासन व्यवस्था के निर्माण पर होना चाहिए, जो उपभोक्ता संरक्षण, निर्यात प्रतिस्पर्धा तथा भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लक्ष्य को समर्थन प्रदान करे।

स्रोत: TH

नशीले पदार्थों के विरुद्ध कार्यबल (ANTF) का तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन

संदर्भ

- केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नशीले पदार्थों के विरुद्ध कार्यबल (ANTF) के प्रमुखों के तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।

परिचय

- उन्होंने लखनऊ और देहरादून में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के नए क्षेत्रीय परिसर के निर्माण की आधारशिला भी रखी।
- दो दिवसीय इस सम्मेलन का आयोजन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा किया गया, जिसमें 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नशीले पदार्थों के विरुद्ध कार्यबल के प्रमुखों ने भाग लिया।

नशीले पदार्थों के विरुद्ध कार्यबल (ANTF)

- यह राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने तथा स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के प्रवर्तन से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए गठित एक समर्पित व्यवस्था है।

- प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में एक समर्पित नशीले पदार्थों के विरुद्ध कार्यबल होता है, जिसका नेतृत्व सामान्यतः अपर पुलिस महानिदेशक या महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है।
- यह राज्य पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तथा अन्य केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने में सहायता करता है।
- इसके प्रमुख कार्यों में गुप्त सूचनाओं का संग्रह, जांच, नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाना तथा अवैध नशीले पदार्थों के नेटवर्क के विरुद्ध कार्रवाई करना शामिल है।
- **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भूमिका:** नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नशीले पदार्थों से संबंधित कानूनों के प्रवर्तन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है और केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियों की गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करता है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी

- **म्यांमार एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में उभरा:** वर्ष 2022 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद म्यांमार वैश्विक अफीम आपूर्ति के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में उभरा है।
    - वर्ष 2021 से 2023 के बीच म्यांमार में अवैध अफीम की खेती में लगभग 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
    - म्यांमार का स्वर्ण त्रिभुज क्षेत्र अफीम-आधारित मादक पदार्थों के आपूर्तिकर्ता के साथ-साथ मेथामफेटामाइन के प्रमुख केंद्र के रूप में भी विस्तारित हुआ है।
- **पूर्वोत्तर भारत सर्वाधिक प्रभावित:** म्यांमार में नशीले पदार्थों के बढ़ते उत्पादन के कारण पूर्वोत्तर के मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड राज्यों पर इसका सबसे अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है।
- **सीमा व्यवस्था में कमजोरियाँ:** भारत-म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था के कारण ऐसी परिस्थितियाँ बनी हैं, जिनमें ये राज्य सीमांत पारगमन क्षेत्रों से आगे बढ़कर नशीले पदार्थों के वितरण के सक्रिय केंद्र बन गए हैं।
- **अफगानिस्तान के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी:** पाकिस्तान सीमा के पार से ड्रोन के माध्यम से होने वाली नशीले पदार्थों की तस्करी में विगत पाँच वर्षों में पाँच गुना वृद्धि हुई है।
    - अफगानिस्तान के माध्यम से संचालित दक्षिण एशियाई नशीले पदार्थों का व्यापार पाकिस्तान से होकर भारत में पंजाब और राजस्थान की स्थल सीमा तथा गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों की समुद्री सीमा के माध्यम से प्रवेश करता है।

भारत को नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए क्यों निशाना बनाया जाता है?

- **भौगोलिक स्थिति:** भारत दो प्रमुख नशीले पदार्थ उत्पादक क्षेत्रों से होने वाले अवैध नशीले पदार्थों के प्रवाह के बीच स्थित है। इनमें तथाकथित स्वर्ण अर्धचंद्र क्षेत्र, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के सीमावर्ती क्षेत्र शामिल हैं, तथा स्वर्ण त्रिभुज क्षेत्र, जिसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड शामिल हैं, प्रमुख हैं। भारत ऐतिहासिक रूप से दोनों दिशाओं से आने वाली हेरोइन की तस्करी से प्रभावित रहा है।
- **विस्तृत स्थल और समुद्री सीमाएँ:** भारत की स्थल सीमाएँ 15,000 किलोमीटर से अधिक और तटरेखा 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है।
    - म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के साथ लगी अपेक्षाकृत संवेदनशील सीमाएँ दुर्गम भू-भाग और अनौपचारिक मार्गों के माध्यम से सीमा-पार तस्करी को सुगम बनाती हैं।
- **बढ़ता घरेलू बाजार:** भारत अब केवल नशीले पदार्थों के पारगमन का देश नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता बाजार भी बन गया है।
- **औषधि निर्माण का आधार:** भारत विश्व के सबसे बड़े औषधि तथा पूर्वगामी रसायन उत्पादकों में से एक है।
    - यदि नियामकीय निगरानी कमजोर हो, तो पूर्वगामी रसायनों का अवैध उपयोग कृत्रिम नशीले पदार्थों के निर्माण में किया जा सकता है।
- **नशीला पदार्थ-आधारित आतंकवाद:** नशीले पदार्थों की तस्करी से आतंकवादी संगठनों और उग्रवादी समूहों को वित्तीय सहायता मिलती है। नशीले पदार्थों से प्राप्त धन का उपयोग भारत-विरोधी गतिविधियों के वित्तपोषण में किया गया है, विशेषकर पश्चिमी सीमा के क्षेत्रों में।
- **बढ़ता समुद्री व्यापार:** भारत के व्यस्त बंदरगाह और बढ़ता कंटेनर यातायात वैध माल के बीच नशीले पदार्थों को छिपाकर ले जाने के अवसर प्रदान कर सकते हैं।
- **दुर्गम भू-भाग और सीमा संबंधी चुनौतियाँ:** घने वन, पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थल तथा नदी-तटीय क्षेत्र निगरानी को कठिन बनाते हैं।
- **क्षेत्रीय अस्थिरता:** पड़ोसी देशों के कुछ हिस्सों में राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर कानून-प्रवर्तन व्यवस्था भारत में एवं भारत के माध्यम से नशीले पदार्थों की खेती, उत्पादन तथा तस्करी को बढ़ावा देती है।

नशीले पदार्थों के दुरुपयोग का प्रभाव

- **आर्थिक प्रभाव:** नशीले पदार्थों का दुरुपयोग उत्पादकता को कम करता है, स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को बढ़ाता है तथा मानव पूंजी को कमजोर करता है।

NEXT IAS हिन्दी

- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** इससे मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं, एचआईवी/एड्स और हेपेटाइटिस का प्रसार हो सकता है तथा शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आती है।
- **सामाजिक प्रभाव:** यह परिवारों को प्रभावित करता है, घरेलू हिंसा को बढ़ावा दे सकता है तथा सामाजिक अलगाव और कलंक की स्थिति उत्पन्न करता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव:** नशीले पदार्थों का व्यापार नशीला पदार्थ-आधारित आतंकवाद और संगठित अपराध को बढ़ावा देता है तथा युवाओं की इसमें संलिप्तता राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करती है।

सरकारी पहल

- **तीन वर्षीय कार्ययोजना:** केंद्रीय गृह मंत्री ने वर्ष 2029 तक भारत को नशामुक्त बनाने के लिए तीन वर्षीय कार्ययोजना प्रस्तुत की। यह कार्ययोजना चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है।
  - प्रथम, गुप्त सूचना और अभियान-आधारित प्रवर्तन; दूसरा, पूर्वगामी रसायनों और कृत्रिम नशीले पदार्थों पर नियंत्रण; तीसरा, नशीले पदार्थों की मांग में कमी और उनके दुष्प्रभावों को कम करना; तथा चौथा, क्षमता निर्माण और समन्वय।
  - सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारतीय तटरक्षक बल, सीमा शुल्क विभाग और राजस्व आसूचना निदेशालय भूमि सीमाओं, बंदरगाहों, हवाई अड्डों तथा माल परिवहन केंद्रों पर जोखिम-आधारित पहचान और जांच करेंगे तथा निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जांच उपकरण स्थापित करेंगे।
  - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विदेश मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन भगोड़ों को वापस लाने के लिए समन्वित प्रयास करेंगे।
  - प्रवर्तन निदेशालय, वित्तीय आसूचना इकाई और बैंकिंग व्यवस्था नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े धन के प्रवाह का पता लगाएगी।
- **स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985:** यह अवैध नशीले पदार्थों के उत्पादन, कब्जे, बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाता है तथा उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करता है।
- **नशा मुक्त भारत अभियान:** वर्ष 2020 में शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और नशामुक्त भारत को बढ़ावा देना है।
  - सरकार द्वारा नशीले पदार्थों से प्रभावित लोगों के उपचार, निवारक शिक्षा, जागरूकता निर्माण, प्रेरक परामर्श, विषहरण एवं नशामुक्ति उपचार, उपचारोत्तर देखभाल तथा सामाजिक मुख्यधारा में पुनः एकीकरण के लिए 350 एकीकृत नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों को सहायता प्रदान की जा रही है।
- **काशी घोषणा:** यह नशामुक्त भारत के लिए पाँच वर्षीय कार्ययोजना है, जिस पर वाराणसी में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।
  - भारत ने वर्ष 2047 तक नशामुक्त भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है।
  - भारत ने नशीले पदार्थों और मन:प्रभावी पदार्थों तथा रासायनिक पूर्वगामी पदार्थों की अवैध तस्करी और संबंधित अपराधों से निपटने के लिए 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते, 16 देशों के साथ समझौता ज्ञापन तथा 2 देशों के साथ सुरक्षा सहयोग समझौते किए हैं।
- **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंतर्गत अंधकारमय अंतर्जाल निगरानी प्रकोष्ठ:** यह इंटरनेट के गुप्त माध्यमों के जरिए होने वाली नशीले पदार्थों की बिक्री पर निगरानी रखता है।
  - महत्वपूर्ण और बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी से संबंधित जांच की निगरानी के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक संयुक्त समन्वय समिति का गठन किया गया है।

निष्कर्ष

- भारत में नशीले पदार्थों का बढ़ता संकट जनस्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है।
- हालाँकि, निरंतर सफलता के लिए सरकार, नागरिक समाज और समुदायों के बीच समन्वित प्रयास आवश्यक होंगे। इसके साथ ही रोकथाम, पुनर्वास और युवाओं के सशक्तीकरण पर विशेष बल देना होगा, ताकि वास्तविक अर्थों में नशामुक्त भारत का निर्माण किया जा सके।

स्रोत: PIB

संक्षिप्त समाचार

भारत का जैव-सतर्कता कार्यक्रम

समाचार में

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत के जैव-सतर्कता कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की है।

भारत का जैव-सतर्कता कार्यक्रम

- यह अंग और ऊतक प्रत्यारोपण में प्रयुक्त औषधियों तथा जैविक उत्पादों से संबंधित प्रतिकूल घटनाओं की निगरानी और रोकथाम करेगा।

- इसके अंतर्गत अंग एवं ऊतक दाताओं तथा प्राप्तकर्ताओं, दोनों को दिए जाने वाले उत्पाद भी शामिल होंगे।
- इस कार्यक्रम का नेतृत्व भारतीय भेषज संहिता आयोग करेगा।
- **भारतीय भेषज संहिता आयोग:** यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, जो भारत में निर्मित, बेची और उपयोग की जाने वाली सभी औषधियों के लिए मानक निर्धारित करती है।
- यह कार्यक्रम भारत के औषधि सतर्कता कार्यक्रम का पूरक होगा, जो औषधियों से होने वाली प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी करता है। साथ ही, यह भारत के चिकित्सा उपकरण सतर्कता कार्यक्रम का भी पूरक होगा, जो चिकित्सा उपकरणों से संबंधित प्रतिकूल घटनाओं पर निगरानी रखता है।

स्रोत: IE

PBSHABD

समाचार में

- प्रसार भारती की PBSHABD सेवा के उपयोगकर्ता आधार ने दो वर्षों में 3,600 मीडिया संगठनों का आंकड़ा पार कर लिया है तथा इसकी निःशुल्क सुविधा मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है।

पृष्ठभूमि

- प्रसार भारती भारत का स्वायत्त सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के अंतर्गत की गई थी। आकाशवाणी और दूरदर्शन इसके दो प्रमुख अंग हैं।
- इसके दायित्व में जनहित में सूचनाओं के निष्पक्ष और संतुलित प्रवाह को बढ़ावा देना शामिल है। इस व्यवस्था का प्रमुख आधार समाचारों का संग्रह रहा है।
- प्रसार भारती समाचार सेवा प्रारंभ में एक आंतरिक समाचार सेवा थी, जो आकाशवाणी और दूरदर्शन को सामग्री उपलब्ध कराती थी।
- मार्च 2024 में इसके दायरे का विस्तार करते हुए इस आंतरिक समाचार संसाधन को समाचार साझा करने वाली सेवा में परिवर्तित किया गया।

PBSHABD

- PBSHABD का अर्थ है—प्रसार भारती द्वारा प्रसारण और प्रसार के लिए साझा की गई श्रव्य-दृश्य सामग्री।
- इसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 में नई दिल्ली में शुरू किया गया था।
- यह प्रसार भारती की समाचार सामग्री उपलब्ध कराने वाली सेवा है, जिसका उपयोग मीडिया संस्थान चौबीसों घंटे कर सकते हैं।
- यह भारत और विश्व से संबंधित समयबद्ध, प्रामाणिक तथा सीधे उपयोग में लाई जा सकने वाली समाचार सामग्री उपलब्ध कराती है।
- इसमें 15 भारतीय भाषाओं में पाठ, वीडियो, श्रव्य सामग्री, छायाचित्र और सूचना-चित्र शामिल हैं। यह सामग्री लगभग 50 विषय-श्रेणियों में उपलब्ध है, जिसका उपयोग मीडिया संगठन कर सकते हैं।
- इसके उपयोगकर्ताओं में पंजीकृत मीडिया संगठन, डिजिटल प्रकाशक तथा सामग्री निर्माता शामिल हैं। समाचार पत्र, समाचार टेलीविजन चैनल और डिजिटल समाचार प्रकाशक इसके उपयोगकर्ता आधार का बड़ा हिस्सा हैं।

स्रोत: PIB

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0

समाचार में

- सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के माध्यम से अधिक उत्तरदायी, प्रौद्योगिकी-आधारित और परिणामोन्मुख कौशल विकास व्यवस्था तैयार कर रही है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2014 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना शुरू की थी।
- यह ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य उनके लिए स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है।
- एक दशक से अधिक समय से यह योजना वंचित परिवारों के 15–35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़ा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।
- यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए 50 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत तथा दिव्यांगजनों के लिए 5 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करके सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा देती है। विगत एक दशक में इस पहल का अधिक ध्यान रोजगार के परिणामों और रोजगार प्राप्ति के बाद सहायता पर केंद्रित हुआ है।

उन्नत संस्करण

- मई 2025 में सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए। इनमें प्रशिक्षण, रोजगार, रोजगार की स्थिरता तथा रोजगार प्राप्ति के बाद सहायता से संबंधित व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत उद्योगों की आवश्यकताओं के आधार पर विमानन एवं अंतरिक्ष, कृषि, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य-संवर्धन, हरित रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, वस्त्र तथा अन्य कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

- केंद्रीय बजट 2026–27 में ग्रामीण कौशल विकास पर ध्यान बनाए रखते हुए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत संचालित दो विशेष कार्यक्रम :

- **रोशनी:** यह गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
  - इसमें घरेलू कौशल के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया है तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
  - अब इस कार्यक्रम का विस्तार आकांक्षी जिलों तक भी किया गया है, जहाँ स्थानीय अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक कौशल से संबंधित आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा रहा है।
- **हिमायत:** यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की एक विशेष पहल है।
  - यह ग्रामीण और शहरी युवाओं तथा गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर जीवनयापन करने वाले परिवारों को सेवित करती है तथा वेतन आधारित रोजगार, स्वरोजगार और स्वतंत्र कार्य के अवसरों को बढ़ावा देती है।
  - यह योजना शत-प्रतिशत केंद्र प्रायोजित है और राज्यों की सहायता से विशेष मिशन प्रबंधन इकाइयों के माध्यम से लागू की जाती है।

महत्त्व

- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 भविष्य के लिए कुशल, सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण कार्यबल तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह विकसित भारत @2047 की परिकल्पना को भी बढ़ावा देती है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक आर्थिक और ज्ञान के केंद्र के रूप में परिवर्तित करना है।

स्रोत: PIB

गाजा शांति बोर्ड

संदर्भ

- अमेरिका समर्थित **शांति बोर्ड** ने गाजा के लिए छह महीने के **2.45 अरब डॉलर** के पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया है। इसमें अवसंरचना, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, आर्थिक पुनरुद्धार, डिजिटल सेवाओं और सुरक्षा से संबंधित परियोजनाएँ शामिल हैं।

शांति बोर्ड क्या है?

- **शांति बोर्ड (BoP)** एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति, स्थिरता, पुनर्निर्माण और प्रभावी शासन को बढ़ावा देने के लिए की गई है। वर्तमान में इसका तत्काल और प्रमुख ध्यान युद्धोत्तर गाजा के संक्रमणकाल पर है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति **डोनाल्ड ट्रंप** ने इजराइल–हमास संघर्ष के बाद गाजा में स्थायी शांति स्थापित करने के अपने ढाँचे के एक भाग के रूप में शांति बोर्ड का प्रस्ताव रखा था।
  - वे शांति बोर्ड के **अध्यक्ष** के रूप में कार्य करते हैं।
- बोर्ड के ढाँचे को **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 (2025)** के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हुआ, जिसमें गाजा के व्यापक शांति एवं संक्रमणकालीन ढाँचे का समर्थन किया गया।
- **सदस्य:** इस संगठन में संस्थापक सदस्यों के रूप में कई देशों को शामिल किया गया है, जिनमें **संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, तुर्किये और संयुक्त अरब अमीरात** सहित अन्य देश शामिल हैं।

स्रोत: HT

ब्रिक्स और परिवर्तित वैश्विक कर व्यवस्था

संदर्भ

- ब्रिक्स के कर प्रमुखों की बैठक ने अंतरराष्ट्रीय कराधान पर साझा दृष्टिकोण विकसित करने तथा नई वैश्विक कर व्यवस्था के लिए चल रही वार्ताओं में बड़े विकासशील देशों की आवाज को सुदृढ़ करने के समूह के प्रयासों को रेखांकित किया है।

परिचय

- सदस्यों ने **अंतरराष्ट्रीय कराधान, हस्तांतरण मूल्य निर्धारण, राजस्व आँकड़ों, डिजिटल कर प्रशासन और क्षमता निर्माण** पर ध्यान केंद्रित किया। इसके साथ ही **अंतरराष्ट्रीय कर सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय (UNFCITC)** के साथ रचनात्मक सहभागिता पर भी बल दिया गया।
- **भारत की ब्रिक्स कर पहल:** भारत ब्रिक्स साझेदार देशों के साथ **प्रत्यक्ष संपर्क रहित कर निर्धारण, पूर्व-भरी हुई कर**

विवरणियाँ, वास्तविक समय में चालान प्रमाणीकरण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित करदाता सहायता से संबंधित अपने अनुभव साझा कर रहा है।

- भारत ने वर्ष **2026 में अपनी ब्रिक्स कर अध्यक्षता** के दौरान अंतरराष्ट्रीय कराधान तथा हस्तांतरण मूल्य निर्धारण एवं राजस्व आँकड़ों पर दो नए कार्य समूह स्थापित किए।
- **ब्रिक्स कर पारस्परिक-अधिगम प्रयोगशाला** और **कर सहायता नेटवर्क** का उद्देश्य समान स्तर के देशों के बीच अनुभव-साझाकरण तथा संस्थागत सहयोग को मजबूत करना है।
- अप्रैल **2026** में भारत में पहली प्रत्यक्ष **ब्रिक्स युवा कर पेशेवर क्षमता निर्माण कार्यक्रम** आयोजित की गई, जिसे अब वार्षिक कार्यक्रम के रूप में संस्थागत रूप दे दिया गया है।

अंतरराष्ट्रीय कर सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय

- **UNFCITC** एक प्रस्तावित वैश्विक ढाँचा है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय कर सहयोग को सुदृढ़ करना तथा वैश्विक कर शासन को अधिक समावेशी और पारदर्शी बनाना है।
- वर्ष **2023** में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया, जिसके माध्यम से एक नए अंतरराष्ट्रीय कर अभिसमय की प्रक्रिया शुरू की गई।
- वर्ष **2025** में वार्ताएँ प्रारंभ हुईं और वर्ष **2027** तक अभिसमय तथा संबंधित प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ने की अपेक्षा है।

स्रोत: HT

भारत द्वारा ओआईसी समूह की कश्मीर संबंधी टिप्पणियों का खंडन

संदर्भ

- भारत ने **इस्लामी सहयोग संगठन (OIC)** के जम्मू-कश्मीर संपर्क समूह की संयुक्त विज्ञप्ति में कश्मीर के संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया।

ओआईसी के बारे में

- **स्थापना:** 1969 में रबात, मोरक्को में।
- **प्रेरक घटना:** यरुशलम स्थित **अल-अक्सा मस्जिद पर आगजनी के हमले** के बाद इसकी स्थापना की प्रक्रिया को गति मिली।
- **मुख्यालय:** वर्तमान में जेद्दा, सऊदी अरब।
- **सदस्यता:** संयुक्त राष्ट्र के ऐसे सदस्य देशों के लिए खुली है जहाँ मुस्लिम जनसंख्या बहुसंख्यक है। वर्ष 2026 तक इसके **57 सदस्य देश** हैं।
- **लक्ष्य एवं अधिदेश:** स्वयं को **"मुस्लिम विश्व की सामूहिक आवाज"** के रूप में प्रस्तुत करना। यह सदस्य देशों के बीच एकजुटता और एकता को बढ़ावा देता है।
- **सदस्यता एवं मतदान:**
  - **पूर्ण सदस्यता:** विदेश मंत्रियों की परिषद में सर्वसम्मति आवश्यक होती है।
  - **पर्यवेक्षक का दर्जा:** इसके लिए भी समान प्रक्रिया अपनाई जाती है।
  - **निर्णय:** प्राथमिकता के आधार पर सर्वसम्मति से लिए जाते हैं; अन्यथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के **दो-तिहाई बहुमत** से निर्णय लिया जा सकता है।
- **प्रमुख अंग:**
  - **इस्लामी शिखर सम्मेलन:** यह संगठन का सर्वोच्च प्राधिकरण है। इसमें राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं और इसकी बैठक प्रत्येक **3 वर्ष** में होती है।
  - **विदेश मंत्रियों की परिषद (CFM):** यह संगठन का प्रमुख निर्णय लेने वाला निकाय है और इसकी बैठक **प्रतिवर्ष** होती है।

स्रोत: AIR

सियांग ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना

संदर्भ

- अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित सियांग ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना (SUMP) के लिए पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षण का मार्गदर्शन एवं समन्वय करने हेतु एक सशक्त उच्च-स्तरीय समिति को स्वीकृति दी है।

परियोजना के बारे में

- **स्थान:** परियोजना के लिए तीन निर्धारित स्थल हैं, जिनमें से दो सियांग जिले में तथा एक ऊपरी सियांग जिले में स्थित है।
- **SUMP की क्षमता:** 11,000 मेगावाट (MW)।
- केंद्र सरकार ने इसकी रणनीतिक महत्ता को देखते हुए वर्ष 2008 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था।

सियांग नदी

- सियांग नदी का उद्गम तिब्बत में होता है, जहाँ इसे यारलुंग त्सांगपो के नाम से जाना जाता है।
- यह नदी 1,000 किमी से अधिक की दूरी तक पूर्व दिशा में प्रवाहित होने के पश्चात नमचा बरवा के निकट एक बड़ा मोड़ लेती है और सियांग के रूप में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है।

NEXT IAS हिन्दी

- असम में सियांग नदी दिबांग और लोहित नदियों से मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती है।

स्रोत: TH

उपग्रह-आधारित स्मार्ट वायुक्षेत्र-रोधी हथियार (SAT-SAAW)

संदर्भ

- रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए 160 उपग्रह-आधारित स्मार्ट वायुक्षेत्र-रोधी हथियार (SAT-SAAW) तथा संबंधित उपकरणों की खरीद हेतु भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के साथ 810 करोड़ रुपये से अधिक का अनुबंध किया है।

स्मार्ट वायुक्षेत्र-रोधी हथियार (SAT-SAAW) के बारे में

- SAT-SAAW एक वायु से भूमि पर मार करने वाला सटीक-निर्देशित ग्लाइड बम है, जिसे अत्यंत लंबी दूरी से दुश्मन के वायुक्षेत्रों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
- इस हथियार का डिजाइन एवं विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा किया गया है और इसमें 60 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री होगी।
- इसे जैगुआर, हॉक और सुखोई-30MKI विमानों से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इससे भारतीय वायु सेना को सीधे लक्ष्य के निकट गए बिना वायुक्षेत्र संबंधी लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।
  - SAT-SAAW की आपूर्ति 2027-28 से 2028-29 के बीच निर्धारित है।
- स्वदेशी SAAW परियोजना को प्रथम बार 2013 में स्वीकृति दी गई थी। इसके उड़ान परीक्षण 2016 से 2021 के बीच किए गए और इसे आधिकारिक रूप से 2021 में भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया।

स्रोत: AIR

नाओएरो

संदर्भ

- संयुक्त राष्ट्र महासभा में राष्ट्रपति डेविड अडियांग ने घोषणा की कि नाउरू को अब नाओएरो के नाम से जाना जाएगा।
  - यह परिवर्तन एक पारंपरिक नाम, भाषा और राष्ट्रीय पहचान को पुनर्स्थापित करता है।

नाओएरो के बारे में

- नाओएरो दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह दक्षिण-पूर्वी माइक्रोनेशिया में स्थित एक उभरे हुए प्रवाल द्वीप से बना है और भूमध्य रेखा से 25 मील (40 किमी) दक्षिण में स्थित है।
- नाओएरो विश्व का तीसरा सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है।

- यहाँ लगभग 12,000 लोग निवास करते हैं। यह देश 1968 में यूनाइटेड किंगडम, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के औपनिवेशिक शासन के बाद स्वतंत्र हुआ।
- इसका अंतरराष्ट्रीय कोड NRU से बदलकर NRO किया जा रहा है और इसके नागरिकों को नौरुआन के स्थान पर देई-नाओरो के नाम से जाना जाएगा।

स्रोत: IT